इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 585] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2010—कार्तिक 27, शक 1932

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 12-55-2009-4-पच्चीस.— भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2010

मध्यप्रदेश विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए स्व-रोजगार अनुदान योजना नियम, 2010

प्रस्तावना.—मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश में निवासरत 51 जातियों का समूह जो कि विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के अंतर्गत आता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर है इस वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्व-रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ''मध्यप्रदेश विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए स्व-रोजगार अनुदान योजना, 2010'' प्रारंभ करता है :—

1. **योजना का नाम.**—मध्यप्रदेश विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के स्व-रोजगार योजना नियम-2010.

2. **योजना का प्रारंभ.**—यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में दिनांक 1-11-2010 से प्रारंभ की जानी है जो कि आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

3. **योजना का उद्देश्य.**—विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के बेरोजगारों को स्व-रोजगार के रूप में उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित कराने के उद्देश्य से अनुदान सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण बैंक के माध्यम से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराकर उद्यम स्थापित कराना. इन सभी चरणों में सहायता संघन अनुसरण भी सम्मिलित रहेगा.

4. **पात्रता.**—इस योजनान्तर्गत भारत सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य के लिए ज्ञापन क्रमांक/6109/XXY/GNK/IK/63, दिनांक 21 सितम्बर 1963 द्वारा नोमेडिक तथा डीनोटिफाईड ट्राईब्स की सूची में आने वाले विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो कि :—

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों.
2. उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो.
3. उम्र 18 से 50 वर्ष हो,
4. हितग्राही ने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो.
5. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोंतों से वार्षिक आय गरीबी रेखा सीमा में निर्धारित दुगनी राशि से अधिक न हो. (परिवार के सदस्यों में पति-पत्नि एवं अविवाहित, आश्रित बच्चे माने जायेंगे).
6. हितग्राही पर किसी तरह का गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो.
7. इस योजना का लाभ समूह के रूप में यदि बेरोजगारों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह एक ही जाति वर्ग समूह के होने चाहिए.

5. **प्राथमिकता.**—(1) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार जिनका नाम बी. पी. एल. सर्वे सूची में अंकित हो.

(2) नि:शक्तजन

(3) महिला

(4) शिक्षित बेरोजगार

(5) मध्यप्रदेश शासन के द्वारा संचालित विभिन्न तकनीकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित.

6. **महिला एवं नि:शक्त आवेदनकर्ताओं की प्राथमिकता.**—(1) महिला आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता सूची में रखा गया है.

(2) नि:शक्तजन आवेदनकर्ता—ऐसे विकलांग एवं नि:शक्तजन जो उद्यम संचालन करने में सक्षम हैं उनको प्राथमिकता सूची में रखा गया है.

7. **पात्र गतिविधियां.**—उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित ऐसी समस्त गतिविधियां जो विधिनुकूल हों.

8. **आवेदन प्रक्रिया.**—(1) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र-1 में आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग को करना होगा.

(2) आवेदन पत्र नि:शुल्क अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से प्राप्त करना होंगे.

9. **आवेदन पत्र का पंजीकरण.**—प्रति वर्ष योजनान्तर्गत स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन एवं स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रकाशन के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, जिनका पंजीयन विकासखण्डवार शहरी एवं ग्रामीण का पृथक्-पृथक् किया जायेगा.

10. **पंजीयन एवं आवेदन-पत्र के निराकरण की प्रक्रिया.**—चयन समिति नियम-4 एवं 5 में उल्लेखित पात्र एवं प्राथमिकता को देखते हुए निर्धारित लक्ष्य से 15 प्रतिशत तक के हितग्राहियों के नामों का पंजीयन करेगा. पंजीयन उपरान्त चयन समिति के द्वारा चयन किये गये हितग्राहियों के आवेदन-पत्र बैंक को प्रेषित किये जायेंगे. किन्हीं कारणवश आवेदन-पत्रों पर यदि राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करता है ऐसे प्रकरणों को अगले वर्ष के लक्ष्य में प्रथम प्राथमिकता देते हुए बैंक को भेजे जायेंगे. इसके लिये पृथक् से चयन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' का सिद्धान्त सर्वोपरि रहेगा.

11. **चयन समिति.—**

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
3.	कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी वित्त विकास समिति	सदस्य
4.	प्रभारी मंत्रीजी द्वारा नामांकित विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति.	सदस्य
5.	जिले का अग्रिणी बैंक अधिकारी	सदस्य
6.	ट्रेड आधारित विषय विशेषज्ञ जिसे कलेक्टर द्वारा नामांकित	सदस्य
7.	परिवहन अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
8.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण.	सदस्य सचिव

12. **अध्यक्षता.**—इस समिति की अध्यक्षता कलेक्टर/अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अपर कलेक्टर से निम्न अधिकारी के द्वारा नहीं की जावेगी.

13. **मार्गदर्शन, परामर्श.**—उद्यम का चयन करने, आवेदन-पत्र प्राप्त करने आदि के लिए मार्गदर्शन सदस्य सचिव द्वारा दिया जावेगा. इस संबंध में समय-समय पर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन भी किया जा सकता है.

14. **ऋण एवं अनुदान की सीमा.**—(1) ऋण हेतु वह सभी शर्तें हितग्राहियों को मानना होंगी जो राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक द्वारा वैधानिक रूप से निर्धारित की गई हों.

(2) इस योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण व्यक्ति मूलक रुपये 1.00 लाख तक तथा समूह में रुपये 5.00 लाख तक उपलब्ध कराया जा सकेगा.

(3) ऋण केवल राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा.

15. **अनुदान.**—(1) योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुदान हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है. इसलिए भारत सरकार के निर्देशानुसार इस योजना में प्रति हितग्राही परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 10,000/- जो भी कम हो तक का अनुदान प्राप्त कर सकेगा.

(2) समूह होने की स्थिति में अधिकतम 5 व्यक्ति के समूह पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम 10,000/- के मान से रुपये 50,000/- तक का अनुदान प्राप्त कर सकेगा. अनुदान का समायोजना शत-प्रतिशत बैंक ऋण के पश्चात् हितग्राही के बैंक खाते में किया जा सकेगा.

16. **रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण.**—विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के युवक/युवतियों को इस योजनान्तर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उद्यम की स्थापना के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित कराये जा सकते हैं. इन प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिले को दिये गये लक्ष्य से अधिक नहीं होना चाहिए. प्रशिक्षण में निम्नांकित विषयों को रखा जायेगा :—

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः विभिन्न विभागों की स्वरोजगार एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जावेगी.
2. लेखा-जोखा, लाभ हानि आदि के संबंध में जानकारी
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण कच्चा माल आदि के संबंध में
4. आवेदकों की चयनित उद्यम की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र तैयार करवाना, संबंधित संस्था को प्रेषित करना तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराना.

5. विभिन्न विभागों की अनुमति, सम्मति, पंजीयन, अनुज्ञप्ति आदि की आवेदन-पत्र एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जावेगी.

6. वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया औपचारिकताएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

7. चयनित गतिविधि अथवा उससे संबंधित गतिविधि व्यवहारिक प्रशिक्षण

8. क्षेत्रीय भ्रमण.

17. **प्रशिक्षण.**—ट्रेड आधारित प्रशिक्षण अथवा राज्य शासन एवं राज्य शासन अंतर्गत उपक्रम द्वारा जो आयोजित किये जाते हैं वहीं मान्य होंगे. इसके लिये प्रशिक्षण अवधि एवं पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय जो राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षणार्थी संस्था के लिए स्वीकृत किया गया है मान्य होंगे. ऐसे प्रशिक्षण के लिए हितग्राही का चयन इस योजनान्तर्गत नियम-11 जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जायेगा.

18. **प्रशिक्षण पर व्यय.**—7 दिवसीय प्रशिक्षण पर अधिकतम रुपये 2000/- प्रति व्यक्ति

19. **प्रशिक्षण संस्थाएं.**—प्रशिक्षण संस्थाएं म. प्र. शासन के मान्यता प्राप्त संस्थाएं यथा म. प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, म. प्र. उद्यमी विकास संस्थान, म. प्र. उद्यमिता विकास केन्द्र आदि होना चाहिये. निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु विधिवत प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे. प्राप्त प्रस्तावों में से प्रशिक्षण संस्था का चयन जिला स्तरीय चयन समिति (नियम-11) द्वारा किया जायेगा, लेकिन शासकीय संस्थाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी.

20. **वित्तीय अधिकार.**—भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत अधिकतम रुपये 10,000/- प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि स्वीकृत की जाना है इसलिए प्रति व्यक्ति रुपये 10,000/- अनुदान राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलेक्टर को रहेंगे. प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की वित्तीय स्वीकृति रुपये 2,000/- प्रति हितग्राही तक स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर को रहेंगे.

21. **बैंकों को अनुदान राशि का अग्रिम उपलब्ध कराना.**—राष्ट्रीयकृत बैकों के माध्यम से प्रकरण स्वीकृत कराये जायेंगे. अनुदान का समायोजन शत-प्रतिशत बैंक ऋण के पश्चात् हितग्राही के बैंक खाता में किया जायेगा. प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक हितग्राही के प्रकरण स्वीकृत कर उनके खाते में सीधे अनुदान राशि का समायोजन किया जा सकेगा.

22. **वित्तीय संस्थाओं का दायित्व.**—(1) वित्तीय संस्था का दायित्व होगा कि वह आवेदक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी परियोजना के अनुरूप निर्धारित सीमा तक ही वित्तीय सहायता का आंकलन कर लें.

(2) हितग्राही का प्रकरण जो वित्तीय संस्था को प्राप्त होता है उसका निराकरण 30 दिवस के भीतर कर दिया जाए.

(3) ऋण राशि वितरित करने पश्चात् एक माह के भीतर वह अपना उद्यम स्थापित कर लें तथा उद्यम स्थापना के पश्चात् ही अनुदान राशि का उसके खाते में समायोजन किया जाये.

(4) रुपये 50,000/- से कम बैंक ऋण का वितरण प्रथम किश्त में इतना किया जाए कि हितग्राही अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके तथा द्वितीय किश्त में ऋण वितरण से वह अपना व्यवसाय स्थापित कर सके.

(5) दो से अधिक किश्तों में ऋण वितरण को हतोत्साहित किया जाए, क्योंकि इससे हितग्राही को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है.

23. **ऋण एवं अनुदान राशि का दुरुपयोग.**—(1) जिन हितग्राही के द्वारा ऋण वितरण की प्रथम किश्त का उपयोग समय पर, अवधि एक माह के भीतर नहीं किया जाता है उसको द्वितीय किश्त का भुगतान न किया जाए.

(2) ऋण वितरण के शत-प्रतिशत वितरण के पश्चात् दो माह के भीतर हितग्राही को अपना व्यवसाय प्रारंभ कर उसकी सूचना वित्तीय संस्था को देना होगी अन्यथा हितग्राही के खाते में अनुदान राशि का समायोजन नहीं किया जाएगा.

24. **वसूली.**—(1) जिन हितग्राही ने योजनान्तर्गत पात्रता को छिपाते हुए एवं भ्रामक जानकारी देकर ऋण प्राप्त किया है उनसे एक मुश्त अनुदान एवं ऋण की राशि वसूल की जाएगी यदि ऐसी राशि की वसूली में हितग्राही द्वारा आनाकानी की जाती है तो उसे भू-राजस्व की वसूली के रूप में किया जाए.

(2) ऋण राशि वसूली के लिए समय-समय पर विभाग के अधिकारी एवं वित्तीय संस्था के अधिकारी हितग्राही के उद्यम का निरीक्षण करते रहेंगे.

(3) बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण मूलधन एवं ब्याज का भुगतान हितग्राही द्वारा संबंधित बैंक को किया जायेगा. इसके लिये विभाग/राज्य शासन का कोई दायित्व नहीं होगा.

25. **समीक्षा, अनुसरण एवं मूल्यांकन.**—(1) योजना के क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी.

(2) चयन समिति के सदस्य सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी समिति के जिला स्तर के सदस्य समय-समय पर हितग्राही के स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा जिस योजना के लिए उनको ऋण दिया गया है उसका उपयोग हितग्राही द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं, देखेंगे. यदि हितग्राही द्वारा ऋण का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसका प्रतिवेदन जिले के कलेक्टर को देंगे. ऐसे प्रकरण में कलेक्टर नियम 23 एवं 24 में दिये गये प्रावधान क अनुसार कार्यवाही करेंगे.

(3) योजना की त्रैमासिक समीक्षा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण द्वारा प्रदेश स्तर पर की जायेगी.

(4) राज्य शासन स्तर पर योजना की समीक्षा विभागीय मंत्रीजी द्वारा की जायेगी, जिसमें प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य रहेंगे एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास समिति के संयोजक रहेंगे, के द्वारा की जायेगी.

(5) योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन एवं अध्ययन समय-समय पर किसी प्रतिष्ठित संस्था से कराया जायेगा.

26. **विविध.**—(1) योजना में किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए विधिवत प्रस्ताव अभिकरण के द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत किये जायेंगे. जिस पर आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास अनुशंसा कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगे.

(2) योजनान्तर्गत स्व-रोजगार योजना हेतु आवंटन भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के पश्चात् आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा.

(3) योजनान्तर्गत प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्यों के निर्धारण के लिए प्रस्ताव संस्थागत वित्त के माध्यम से सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजे जावेंगे. प्रस्तावित लक्ष्य अभिकरण द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास से परामर्श कर संस्थागत वित्त को नये वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के दो माह पूर्व भेजना होंगे.

(4) योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही राशि अनुदान के रूप में रहेगी इस राशि को ऋण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

(5) वर्ष के अंत में अनुदान की जो राशि शेष रहती है उसकी सूचना राज्य शासन को आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के माध्यम से अभिकरण द्वारा भेजी जावेगी तथा उसका आगामी वर्षों में उपयोग राज्य शासन की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा.

(6) भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में अभिकरण को आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के माध्यम से प्रस्तुत करना होंगे.

(7) योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों का आडिट समय-समय पर अभिकरण को कराना होगा.

योजनान्तर्गत किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
संजुक्ता मुदगल, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010